

पृ.क्रं.-	
प्रेषिता	अन्विता

123

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख)

मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/वनग्राम/2010/

भोपाल, दिनांक/26.05.2010

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
रीवा, खण्डवा, बैतूल वन वृत्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत गठित राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.05.2010.

संदर्भ:- भारत सरकार जन जातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली का अद्वशासकीय पत्र क्रमांक-D.O.No. 23011/24/2009-FRA Dated 4th May 2010.

—00—

विषयान्तर्गत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत गठित राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.05.10 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक के एजेण्डा क्रमांक 6 पर संदर्भित भारत सरकार जन जातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अद्वशासकीय पत्र क्रमांक-D.O.No.23011/24/2009-FRA Dated 4th May 2010 पर विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस अद्वशासकीय पत्र में वन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर तत्काल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।

भारत सरकार जन जातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अद्वशासकीय पत्र क्रमांक D.O.No.23011/24/2009-FRA Dated 4th May 2010 की छाया प्रति संलग्न है। इस पत्र के साथ मध्यप्रदेश से संबंधित वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर टीप भी संलग्न है। इस टीप में सतना, बैतूल, बुरहानपुर, खण्डवा एवं खरगौन जिलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

कृपया आपके अधीनस्थ वनमंडलों से संबंधित टीप पर अपना अभिमत तत्काल प्रेषित करें, ताकि शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(डॉ. एच.एस. पाबला)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख)

मध्यप्रदेश